रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003--25 REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—25

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-10052025-263010
CG-DL-W-10052025-263010

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19] नई दिल्ली, शनिवार, मई 10—मई 16, 2025 (वैशाख 20, 1947)
No. 19] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 10—MAY 16, 2025 (VAISAKHA 20, 1947)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.	275
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	413
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	7
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	2485
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	1617
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.	1
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.	2113
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	275
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	413
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	7
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	2485
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1617
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	2113
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी 2025

सं. 52-प्रेस/2025—राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2025 के अवसर पर निम्नलिखित अफसरों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

(i) अपर महानिदेशक अनिल कुमार हर्बोला, तटरक्षक पदक (0223-ई)
(ii) महानिरीक्षक होमेश कुमार शर्मा, तटरक्षक पदक (5017-सी)

2. विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 4(iv) के तहत राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक (विशिष्ट सेवा) प्रदान किया जाता है जो कि राष्ट्रपति सचिवालय अधिसूचना सं. 50-प्रेस/89 दिनांक 7 जून 1989 में अधिसूचित है ।

एस. एम. समी
अवर सचिव

सं. 53-प्रेस/2025—राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2025 के अवसर पर, समादेशक अंशुमन रतूडी (0707-ई) को वीरता के लिए तटरक्षक पदक सहर्ष प्रदान करते हैं।

प्रशस्ति उल्लेख

समादेशक अंशुमन रतूडी (0707-ई) ने 26 दिसंबर 2006 को भारतीय तटरक्षक में सेवा आरंभ की।

2. समादेशक अंशुमन रतूडी ने उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर(एएलएच) एम के III हेलीकॉप्टर के कप्तान के रूप में एमवी फ्रैंकफर्ट पोत पर लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए 20-31 जुलाई 24 को गोवा/न्यू मैंगलोर के करीब समुद्र में खराब मौसम में साहसिक अभियान का नेतृत्व किया। अग्नि स्थल (एसओएफ) पर तेजी से बदलते वायु घनत्व और घने काले धुएं का सामना करते हुए, अफसर ने सीमित दृश्य संकेतों के साथ आग के ऊपर मंडराते हुए अग्नि स्थल (एसओएफ) पर सूखे केमिकल पाउडर (डीसीपी) बैग का पहली बार हवाई तैनाती के दौरान इस्तेमाल किया।

3. दक्षिण पश्चिमी-मानसून के कारण तूफानी समुद्र की खराब परिस्थितियों में संकटग्रस्त पोत पर अग्निशमन विशेषज्ञों और उपकरणों को उतारना संभव नहीं हो पाया। पायलट ने संभावित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए 04 साल्वर्स और सभी भारी अग्निशमन, प्रतिबंधित उपकरणों को तटरक्षक पोत के हेलो डेक पर रोल/पिच के बीच नीचे उतारने का चुनौतीपूर्ण कार्य किया।

4. ऑपरेशन सहायता -1 के दौरान लगभग 39 घंटों की कठिन उड़ान, जिसमें 20 विंच ऑपरेशन और 1,250 किलोग्राम सूखे केमिकल पाउडर (डीसीपी) की हवाई गिरावट शामिल थी, जो आग बुझाने में महत्वपूर्ण थी। यह पायलट की बहादुरी और उड़ान कौशल का प्रमाण है, जिससे संभावित राष्ट्रीय समुद्री आपदा को टाला जा सका।

5. भारतीय तटरक्षक द्वारा समुद्री अग्निशमन तकनीकों में नए मानक स्थापित करने के लिए उनकी वीरता और अग्रणी दृष्टिकोण के लिए, समादेशक अंशुमन रतूडी (0707-ई) ने स्वयं को बखूबी सिद्ध किया है और फलस्वरुप इन्हें तटरक्षक पदक (वीरता) प्रदान किया जाता है।

6. तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 11(i) के तहत तटरक्षक पदक (वीरता) प्रदान किया जाता है तथा परिणामस्वरूप नियम 13 के अधीन तटरक्षक पदक (वीरता) प्राप्त करने वाले तटरक्षक कार्मिकों को विशेष भत्ता स्वीकार्य है जो कि राष्ट्रपति सचिवालय अधिसूचना सं. 50-प्रेस/89 दिनांक 7 जून 1989 में अधिसूचित है.

एस. एम. समी
अवर सचिव

सं. 54-प्रेस/2025—राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2025 के अवसर पर, सहायक समादेशक मनीष सिंह (1809-एल) को वीरता के लिए तटरक्षक पदक सहर्ष प्रदान करते हैं।

प्रशस्ति उल्लेख

सहायक समादेशक मनीष सिंह (1809-एल) ने भारतीय तटरक्षक में 20 दिसंबर, 2018 में सेवा आरंभ की।

2. वर्तमान में अफसर रत्नागिरी स्थित भारतीय तटरक्षक पोत सी-452 के कमान अधिकारी के रूप में नियुक्त हैं। युवा अफसर एक योग्य गोताखोर हैं और हमेशा कमान की जिम्मेदारियों के दोषरहित निष्पादन सहित सौंपे गए सभी कार्यों में नेतृत्व करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं।

3. अफसर ने हाल ही में भारतीय तटरक्षक पोत सी-406 पर जल भराव की घटना के दौरान अनुकरणीय साहस दिखाया है। दिनांक 22 अगस्त 2024 को सी-406 ने सी-402 की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए पोत को रवाना किया, हालांकि, इसके स्टीयरिंग ने नियंत्रण खो दिया और यह पीछे की ओर जाने लगा और सी-452 से टकरा गया। सहायक कमांडेंट मनीष सिंह, कमान अधिकारी उस समय सी-452 पोत पर थे और सी-402 की ओर दौड़े, जो जेट्टी के साथ खडा था। जैसे ही सी-406, सी-402 के साथ बर्थ करने में सफल हो गया, अफसर पोत की सुरक्षा का पता लगाने के लिए पोत पर चढ़ गए। सी-406 के वॉटरजेट कम्पार्टमेंट में बाढ़ अलार्म सक्रिय हो गया। अफसर ने जल्दी से नुकसान/छेद का पता लगाने में सहायता की और चालक दल को सबमर्सिबल पंप, आपातकालीन लैंप और डीजल चालित पंप लगाने और वॉटरजेट कम्पार्टमेंट को बंद करने तथा पानी को हटाने का निर्देश दिया। पानी को हटाने के शुरू होने के बाद, अफसर बाहर से नुकसान का आकंलन करने के लिए क्वार्टर डेक पर पहुंचे और पानी भरने की गंभीरता को समझते हुए, सीधे एक सर्विस कंबल और एक लाइफबॉय (सुरक्षा के लिए) के साथ पानी में कूद गए। उन्होंने जलीय रेखा के नीचे छेद का पता लगाया और डुबकी लगाते समय नियंत्रित सांस के साथ, अपने पैरों का उपयोग करके छेद के अंदर कंबल को धकेल दिया और बाद में कंबल को छेद में मजबूती से डालने के लिए वेजेस का उपयोग किया। बाद में, उन्होंने एक अधिक स्थायी व्यवस्था बनाने में मदद की, जिसमें उन्होंने एक विशेष निर्मित स्टॉपर प्लेट का उपयोग किया और पोत के संतुलन को विभिन्न प्रचलित एस ओ पी के अनुसार समायोजित किया गया।

4. अफसर ने अत्यंत साहस, दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प के साथ-साथ तीव्र बुद्धिमता का परिचय देते हुए सी-406 पोत पर गंभीर समुद्री संकट के दौरान बड़ी क्षति को रोका और भारतीय तटरक्षक की एक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति तथा संभवतः चालक दल के सदस्यों के जीवन को बचाया। उनकी मेहनत, साहस, पेशेवराना कौशल और बहादुरी के अनुकरणीय कार्य सैन्य सेवा की बेहतरीन परंपराओं के अनुरूप हैं।

5. सहायक समादेशक मनीष सिंह (1809-एल) ने स्वयं को बखूबी सिद्ध किया है और फलस्वरुप इन्हें तटरक्षक पदक (वीरता) प्रदान किया जाता है।

6. तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 11(i) के तहत तटरक्षक पदक (वीरता) प्रदान किया जाता है तथा परिणामस्वरूप नियम 13 के अधीन तटरक्षक पदक (वीरता) प्राप्त करने वाले तटरक्षक कार्मिकों को विशेष भत्ता स्वीकार्य है जो कि राष्ट्रपति सचिवालय अधिसूचना सं. 50-प्रेस/89 दिनांक 7 जून 1989 में अधिसूचित है ।

एस. एम. समी
अवर सचिव

सं. 55-प्रेस/2025—राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2025 के अवसर पर, समीर रंजन, उत्तम नाविक (आर), 14163-आर को वीरता के लिए तटरक्षक पदक सहर्ष प्रदान करते हैं।

प्रशस्ति उल्लेख

समीर रंजन, उत्तम नाविक (आर), 14163-आर ने भारतीय तटरक्षक में 19 अगस्त 2016 में सेवा आरंभ की।

2. समीर रंजन एक योग्य एयर क्रू गोताखोर है जिन्होंने एक महत्वपूर्ण चिकित्सा निकासी के दौरान असाधारण साहस और समर्पण दिखाया। दिनांक 21 जुलाई 2024 को, मोटर पोत एमटी ज़ील पर एक गंभीर चिकित्सा आपातकाल के संबंध में एक रोगी के बारे में संकट कॉल प्राप्त हुई थी, जो समुद्री बीमारी और खून की उल्टी के कारण 24 घंटे से अधिक समय से बेहोश था।

3. विमान ने सुबह-सुबह उड़ान भरी और जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो उक्त कार्मिक को एक बेहोश और गंभीर रूप से बीमार रोगी को पोत से बचाने का चुनौतीपूर्ण कार्य करना पड़ा, जो तूफानी समुद्र की खराब परिस्थितियों के कारण काफी हिल रहा था। रोगी की बेहोशी और खराब मौसम ने ऑपरेशन को विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण बना दिया।

4. समीर रंजन को मोटर पोत के संकीर्ण अस्थिर डेक पर उतारा गया, जहाँ उन्होंने बेहोश रोगी को सावधानी से बचाव बास्केट में रखा। 20-25 नॉट से अधिक की तेज़ हवाओं और खराब समुद्री परिस्थितियों के कारण पोत की अस्थिरता के बावजूद, समीर रंजन ने डेक फिटिंग और अवरोधों से बचते हुए रोगी को सुरक्षित रूप से विमान में स्थानांतरित किया।

5. एयर क्रू डाइवर समीर रंजन ने प्रतिकूल मौसम की स्थिति में एक बेहोश रोगी को बचाने में असाधारण प्रदर्शन किया, जो उनकी असाधारण बहादुरी को दर्शाता है।

6. समीर रंजन, उत्तम नाविक (आर), 14163-आर ने स्वयं को बखूबी सिद्ध किया है और फलस्वरुप इन्हें तटरक्षक पदक (वीरता) प्रदान किया जाता है।

7. तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 11(i) के तहत तटरक्षक पदक (वीरता) प्रदान किया जाता है तथा परिणामस्वरूप नियम 13 के अधीन तटरक्षक पदक (वीरता) प्राप्त करने वाले तटरक्षक कार्मिकों को विशेष भत्ता स्वीकार्य है जो कि राष्ट्रपति सचिवालय अधिसूचना सं. 50-प्रेस/89 दिनांक 7 जून 1989 में अधिसूचित है।

एस. एम. समी
अवर सचिव

सं. 56-प्रेस/2025—राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2025 के अवसर पर निम्नलिखित अफसरों को सराहनीय सेवा के लिए तटरक्षक पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(i) महानिरीक्षक ज्योतीन्द्र सिंह (0415-क्यू)

(ii) उप महानिरीक्षक अतुल जोशी (0475-डी)

(iii) शनमुगम शंकर, प्रधान अधिकारी (पी), 02031-एस

2. सराहनीय सेवा के लिए तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 11(ii) के तहत तटरक्षक पदक (सराहनीय सेवा) प्रदान किया जाता है जो कि राष्ट्रपति सचिवालय अधिसूचना सं. 50-प्रेस/89 दिनांक 7 जून 1989 में अधिसूचित है।

एस. एम. समी
अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th January 2025

No. 52-Pres/2025—The President is pleased to award the President's Tatrakshak Medal for Distinguished Service to the under mentioned officers on the occasion of the Republic Day, 2025:—

(i) Additional Director General Anil Kumar Harbola, Tatrakshak Medal (0223-E)

(ii) Inspector General Homesh Kumar Sharma, Tatrakshak Medal (5017-C)

2. The President's Tatrakshak Medal for Distinguished Service award is made under Rule-4(iv) of the rules governing grant of the President's Tatrakshak Medal for Distinguished Service i.e President's Secretariat Notification No. 50-Pres/89 dated 7th June, 1989.

SM SAMI
Under Secretary

No. 53-Pres/2025— The President is pleased to award the Tatrakshak Medal for Gallantry to Commandant Anshuman Raturi (0707-E) on the occasion of the Republic Day, 2025.

CITATION

Commandant Anshuman Raturi (0707-E) joined the Indian Coast Guard on 26 December 2006.

2. Comdt Anshuman Raturi as Captain of Advanced Light Helicopter (ALH) MK III helicopter led a daring operation of combating severe fire onboard MV Frankfurt in adverse weather off Goa/New Mangalore (20-31 July 24). Braving rapidly changing air density over Seat Of Fire (SOF) with thick black smoke, the officer executed first-ever aerial deployment of Dry Chemical Powder (DCP) bags precisely over Seat Of Fire(SOF) by maintaining steady hover over the inferno with limited visual cues.

3. The prevailing South West monsoon precluded transshipment of fire-fighting experts (Salvors) and gears on distressed vessel in rough sea conditions. The pilot undertook daunting task of winching down 04 Salvors and all bulky fire-fighting gears onboard restricted Coast Guard helo deck amidst vicious roll/pitch with due diligence to possible risks involved.

4. Over approximately 39 hours of arduous flying during Op Sahayata-1, including 20 winch operations and maiden aerial dropping of 1,250 kg of Dry Chemical Powder (DCP) is a testimony of pilot's bravery and flying skills in dousing fire thereby averting a potential national maritime disaster.

5. For his valour and pioneering approach, setting new standard in maritime fire-fighting techniques by Indian Coast Guard, Commandant Anshuman Raturi (0707-E) has accredited himself well and therefore he is awarded the Tatrakshak Medal (Gallantry).

6. The Tatrakshak Medal (Gallantry) award is made under Rule 11(i) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel who have received the Tatrakshak Medal (Gallantry) award i.e President's Secretariat Notification No. 50-Pres/89 dated 7th June, 1989.

SM SAMI
Under Secretary

No. 54-Pres/2025—The President is pleased to award the Tatrakshak Medal for Gallantry to Assistant Commandant Manish Singh (1809-L) on the occasion of the Republic Day, 2025.

CITATION

Assistant Commandant Manish Singh (1809-L) joined the Indian Coast Guard on 20 December 2018.

2. The officer is presently appointed as Commanding Officer ICGS C-452 based at Ratnagiri. The young officer is a qualified Diver and is always keen to take lead and excel in all tasks.

3. The officer showed exemplary courage during a recent Flooding incident onboard C-406.On 22 Aug 24, C-406 cast off for facilitating the movement of C-402 however, lost its steering controls and started falling astern and collided with C-452. Asst Comdt Manish Singh, Commanding Officer C-452 was onboard and immediately sprinted towards C-402 which was berthed alongside jetty. As soon as C-406 berthed alongside C-402 the Officer embarked to ascertain the wellbeing of the ship. Flood alarm got activated in the waterjet compartment of C-406, officer quickly helped to locate the damage/hole and directed crew to place submersible pumps, emergency lamps and DD pump to shut the waterjet compartment and started de-flooding. Once de-flooding started, the officer rushed towards quarter deck to assess the damage from outside and being aware of the gravity of flooding, directly jumped into the water with a Service blanket and lifebuoy (for Safety). He located the hole below waterline and with controlled breath dives, pushed the blanket inside the hole using his legs and later used wedges to insert the blanket rigidly in the hole. Later, he helped put a more durable arrangement wherein he inserted a specially fabricated stopper plate and adjusted the trim of the ship by various SOPs in vogue.

4. The officer showcased extreme courage, steely resolve and determination along with acute presence of mind in preventing major damage onboard C-406 saving an important ICG Asset and possibly the lives of the crew. His diligence, courage, professional acumen, and exemplary act of bravery are in keeping with the finest traditions of the uniform service.

5. Assistant Commandant Manish Singh (1809-L) has accredited himself well and therefore he is awarded the Tatrakshak Medal (Gallantry).

6. The Tatrakshak Medal (Gallantry) award is made under Rule 11(i) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel who have received the Tatrakshak Medal (Gallantry) award i.e President's Secretariat Notification No. 50-Pres/89 dated 7th June, 1989.

SM SAMI
Under Secretary

No. 55-Pres/2025—The President is pleased to award the Tatrakshak Medal for Gallantry to Sameer Ranjan, Uttam Navik(R), 14163-R on the occasion of the Republic Day, 2025.

CITATION

Sameer Ranjan, Uttam Navik(R), 14163-R joined the Indian Coast Guard on 19 August 2016.

2. Sameer Ranjan is a qualified Aircrew Diver who displayed exceptional courage and dedication during a critical medical evacuation. On 21 July 2024, a distress call was received regarding critical medical emergency onboard Motor Vessel MT Zeal regarding a patient who had been unconscious for over 24 hours due to sea sickness and severe vomiting of blood.

3. The aircraft took off during early morning hours and upon arriving at the datum, he faced daunting task of rescuing an unconscious and critically ill patient from a vessel that was rolling and pitching heavily due to rough sea conditions. The patient's unconsciousness and inclement weather made the operation particularly challenging.

4. Sameer Ranjan was lowered onto narrow unstable deck of Merchant Vessel, where he carefully placed unconscious patient into the rescue basket. Despite strong winds in excess of 20-25 knots and the vessel's instability due to rough sea conditions, Sameer Ranjan managed to avoid deck fittings and obstructions while safely shifting patient into the aircraft.

5. Aircrew Diver Sameer Ranjan's exceptional performance in rescuing an unconscious patient under most adverse weather conditions highlights his extraordinary bravery.

6. Sameer Ranjan, Uttam Navik (R), 14163-R has accredited himself well and therefore he is awarded the Tatrakshak Medal (Gallantry).

7. The Tatrakshak Medal (Gallantry) award is made under Rule 11(i) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel who have received the Tatrakshak Medal (Gallantry) award i.e President's Secretariat Notification No. 50-Pres/89 dated 7th June, 1989.

SM SAMI
Under Secretary

No. 56-Pres/2025—The President is pleased to award the Tatrakshak Medal for Meritorious Service to the under mentioned officers on the occasion of the Republic Day, 2025:—

(i) Inspector General Jyotindra Singh (0415-Q)

(ii) Deputy Inspector General Atul Joshi (0475-D)

(iii) Shanmugham Sankar, Pradhan Adhikari(P), 02031-S

2. The Tatrakshak Medal (Meritorious Service) award is made under 11(ii) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal for Meritorious Service i.e President's Secretariat Notification No. 50-Pres/89 dated 7th June, 1989.

SM SAMI
Under Secretary

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली–110054 द्वारा ई–प्रकाशित़
UPLOADED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054

KSHITIZ MOHAN Digitally signed by KSHITIZ MOHAN Date: 2025.05.10 09:27:33 +05'30'